न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
13 / 2012 / प्रा.पत्र / 2012	14.05.2012	21.07.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–मैसर्स शुभम् ट्रेडर्स चर्च रोड देवली जिला टोंक
2–श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल प्रो. मैसर्स शुभम् ट्रेडर्स चर्च रोड देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 5 विवेकानन्द कॉलोनी देवली जिला टोंक
3–मैसर्स पठान टी कम्पनी जैन नसियां के पास कोटा रोड टोंक राज.
4–श्री केसर सिंह खत्री प्रो. मैसर्स पठान टी कम्पनी जैन नसिया के पास कोटा रोड टोंक

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 21.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2011 को समय 02:50 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स शुभम् ट्रेडर्स चर्च रोड देवली जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। वहां पर श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुनिल कुमार ने स्वयं को मैसर्स शुभम् ट्रेडर्स चर्च रोड देवली जिला टोंक राज0 का विक्रेता एवं मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री सुनील कुमार की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में **चाय केसर गोल्ड पोली पैक** 250–250 ग्राम के लगभग 18–20 किलोग्राम एक जूट के कट्टे में रखी हुई थी, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सुनील कुमार को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर. एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री सुनील कुमार व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **चाय केसर गोल्ड पोली पैक** को वास्त मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है 250–250 ग्राम के 8 पॉली पैक खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **चाय केसर गोल्ड पोली पैक** 250–250 ग्राम के 8 नग कुल मात्रा 2 किलोग्राम को बराबर–बराबर (प्रत्येक भाग मे 2–2 पैकेट कुल मात्रा 500 ग्राम) अलग–अलग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड चयन कर चार अलग–अलग साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद किया व चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बो मे अलग–अलग भरकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–140 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–140 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स शुभम् ट्रेडर्स चर्च रोड देवली जिला टोंक ने मौके पर मैसर्स पठान टी कम्पनी जैन नसियां के पास कोटा रोड टोंक राज. का वारन्टी बिल पेश किया। आवेदक ने मैसर्स पठान टी कम्पनी जैन नसियां के पास कोटा रोड टोंक राज. को पत्र प्रेषित कर फर्म से संबंधित दस्तावेज मंगवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./11/4076 दिनांक 25.11.2011 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/49/एफएसएसए/2011/49 दिनांक 01.11.2011 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **चाय केसर गोल्ड पोली पैक मिथ्याछाप** (Mis-branded)का होना पाया गया।

प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **चाय केसर गोल्ड पोली पैक** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में दिनांक 7–9–2012 को उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा परन्तु जवाब हेतु कई अवसर देने के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं दिनांक12.02.2021 के बाद लगातार अनुपस्थित रहे। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **चाय केसर गोल्ड पोली पैक** का विक्रय कर रहे था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **चाय केसर गोल्ड पोली पैक** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 90,000/– (अक्षरे नब्बे हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 2,40,000/– (अक्षरे दो लाख चालीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.07.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0